संख्या–1142 / 78–आई.टी–2001

प्रेषक,

ओ. एन. वैद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

आई.टी. एवं इलैक्ट्रानिक्स अनुभाग — लखनऊः दिनाँक– 09 अगस्त, 2001

विषय : विभागीय सिस्टम साफ्टवेयर का विकास किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या – 505 / 78–आई0टी0–2001, दिनांक 30.4.2001 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी शासकीय विभागों / संगठनों द्वारा विभागीय एप्लीकेशन के लिए साफ्टवेयर के विकास में उपरोक्त शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी और उक्त शासनादेश दिनांक 30.4.2001 के प्रस्तर–3 में उल्लिखित समिति, जो कि अब निम्नवत् होगी, के अनुमोदन के बाद ही साफ्ट्वेयर क्रय की कार्यवाही की जाएगी।

(1) प्रमुख सचिव / सचिव, सम्बन्धित विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) प्रमुख सचिव / सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि।
(3) स्टेट इन्फार्मेटिक आफिसर, एन.आई.सी., उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिनिधि।
(4) प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के प्रतिनिधि।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड / अपट्रान के प्रतिनिधि।

2. अतः अनुरोध है कि विभागीय एप्लीकेशन साफ्ट्वेयर का विकास किए जाने / क्रय किए जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ओ0 एन0 वैद
प्रमुख सचिव

<u>**संख्या – 1142(1) / 78–आई.टी – 2001 तद्दिनाँक।**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलायुक्त / समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
6. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त।
7. डा0 काशी नाथ, स्टेट इन्फार्मेटिक, आफिसर एन0आई0सी0 लखनऊ।

आज्ञा से,

अनुराग श्रीवास्तव
विशेष सचिव